



## **The Uttarakhand Commission for Minorities Act, 2002**

Act No. 9 of 2002

**DISCLAIMER:** This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तरांचल  
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित  
असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग—1, खण्ड (क)  
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, रविवार, 16 जून 2002 ई0  
ज्येष्ठ, 26, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन  
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग  
संख्या 219 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2002  
देहरादून, 19 जून, 2002

अधिसूचना  
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2002 को दिनांक 16 जून, 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 09, सन 2002 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002

{अधिनियम संख्या 09 वर्ष 2002}

राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या आनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

### अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

#### अध्याय—एक

##### प्रारम्भिक

- संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ
- परिभाषायें
- (1) यह अधिनियम उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 कहा जायेगा।  
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा,  
(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत करें।
  - इस अधिनियम में जब तक की सन्दर्भ से प्रतिकूल आशयित न हो;  
(क) 'आयोग' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग से है;  
(ख) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तराखण्ड की सरकार से है;  
(ग) 'सदस्य' का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है, और इसमें आयोग के अध्यक्ष [तथा उपाध्यक्ष]<sup>1</sup> भी सम्मिलित है;  
(घ) 'अल्पसंख्यक' का तात्पर्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये इस रूप में अधिसूचित किसी समुदाय से है।

#### अध्याय—दो

##### आयोग

- उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग का गठन
- अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें
- (1) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिये सरकार एक निकाय का गठन करेगी जिसे उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग के नाम से जाना जायेगा।  
{(2) आयोग में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिष्ठित योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और नौ सदस्य, जिनमें एक महिला हो, होंगे।}<sup>3</sup>
  - {(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपने पद धारण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा;}<sup>4</sup>  
(2) [अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य]<sup>2</sup> सरकार को सम्बोधित सहस्ताक्षरित पत्र द्वारा यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य के पद से किसी समय पर त्यागपत्र दे सकता है;  
(3) सरकार उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा देगी, यदि वह व्यक्ति:-

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 03 वर्ष 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।  
2. उपर्युक्त की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।  
3. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 13 वर्ष 2014 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।  
4. उपर्युक्त की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

- (क) अनुमोचित दिवालिया हो जाता है,
- (ख) किसी अपराध के लिये जिससे सरकार की राय में नैतिक अधमता अर्न्तग्रस्त है, सिद्ध दोष ठहराया जाता है और कारावास से दण्डित किया जाता है;
- (ग) विकृत चित्त का हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया जाता है,
- (घ) कार्य करने से इन्कार कर देता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है,
- (ङ) आयोग से अनुपस्थिति का अवकाश प्राप्त किये बिना आयोग की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित होता है,
- (च) सरकार की राय में, अध्यक्ष या सदस्य की किसी स्थिति का किसी प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उस व्यक्ति का पद पर बने रहना अल्पसंख्यकों के हितो या लोकहित के लिये हानिकारक हो गया है :

परन्तु किसी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति को इस मामले में सुने जाने का युक्ति-युक्त अवसर न दे दिया गया हो,

- (4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई किसी रिक्ति को नये नाम निर्देशन द्वारा भरा जायेगा।
- (5) अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायें।

आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

- 5. (1) सरकार इस विधेयक के अधीन आयोग द्वारा कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिये एक सचिव एवं अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की, जो आवश्यक हो, व्यवस्था करेगी।
- (2) आयोग के प्रयोजनों के लिये नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायें।

वेतन और भत्ते का अनुदानों से दिया जाना

- 6. [अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य]<sup>1</sup> को देय वेतन और भत्ते और प्रशासनिक व्यय, जिसमें धारा 5 में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन सम्मिलित है, का भुगतान धारा 10 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों से किया जायेगा।

रिक्तियों इत्यादि आयोग की कार्यवाहियों को अविधि मान्य नहीं करेगी

- 7. आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने या आयोग के गठन में त्रुटि के आधार पर विवादग्रस्त या अविधिमान्य नहीं होगी।

आयोग द्वारा प्रक्रिया विनियमित किया जाना

- 8. (1) आयोग, जब कभी आवश्यक हो, ऐसे समय और स्थान पर जैसा अध्यक्ष उचित समझे, अपनी बैठक करेगा।
- (2) आयोग स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगा।
- (3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय सचिव या आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे इस निमित्त सचिव द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किया जाय, अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

- {(4) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित है या अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो उन कर्तव्यों का, उपाध्यक्ष द्वारा तब तक निर्वहन किया जाएगा जब तक नया अध्यक्ष अपना पद धारण नहीं करता है या यथास्थिति विद्यमान अध्यक्ष अपने पद को फिर से नहीं संभालता है।
- (5) यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं तो अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे सदस्य द्वारा, जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देशित करें, किया जायेगा।<sup>1</sup>

### अध्याय-तीन

#### आयोग के कृत्य

आयोग के कृत्य

9. (1) आयोग समस्त या किसी निम्नलिखित कृत्य का पालन करेगा, अर्थात् :-
- (क) उत्तराखण्ड में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;
- (ख) संविधान और राज्य विधान सभा द्वारा पारित अधिनियमों/विधियों में उपबन्धित अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित रक्षोपायों के कार्यकरण का अनुश्रवण करना;
- (ग) सरकार से अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिये रक्षोपाय के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सिफारिश करना;
- (घ) अल्पसंख्यकों के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट शिकायतों को देखना और ऐसे मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना;
- (ङ) अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी विभेद से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करवाना और उनके निराकरण के उपायों की सिफारिश करना;
- (च) अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से सम्बन्धित विषयों पर अध्ययन, शोध और विश्लेषण का संचालन करना;
- (छ) किसी अल्पसंख्यक के संबंध में सरकार द्वारा समुचित उपाय किये जाने हेतु सुझाव देना;
- (ज) सरकार को अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित किसी विषय और विशेषकर उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों के संबंध में नियतकालिक या विशेष रिपोर्ट देना; और
- (झ) कोई अन्य मामला, जो राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाय।
- (2) सरकार उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट सिफारिशों पर की गई या प्रस्तावित कार्यवाही को स्पष्ट करते हुए और यदि कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है तो उसका कारण देते हुए एक ज्ञापन के साथ राज्य विधान सभा के समक्ष रखवायेगी,
- (3) आयोग को उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख) और (घ) में उल्लिखित कृत्यों के पालन में यह सभी शक्तियां होंगी, जो किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद की सुनवाई के समय निहित हैं और विशेषकर निम्नलिखित विषयों के संबंध में अर्थात्:
- (क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
- (ख) किसी दस्तावेज प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;
- (ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 03 वर्ष 2004 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।

- (घ) किसी कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना;  
 (ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना, और  
 (च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।

#### अध्याय—चार

#### वित्त लेखा और लेखा परीक्षा

- सरकार द्वारा अनुदान 10. (1) सरकार, राज्य विधान सभा द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक विनियोग के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने के लिये अनुदान के रूप में धन की ऐसी राशि, जैसा सरकार उचित समझे, आयोग को भुगतान करेगी।  
 (2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिये ऐसी राशि, जैसी वह उचित समझे व्यय कर सकता है और ऐसी राशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय के रूप में समझा जायेगा।
- वार्षिक रिपोर्ट 11. (1) आयोग उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखों का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र तैयार करवायेगा जैसा सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।  
 (2) लेखा और लेखा परीक्षा—लेखों के वार्षिक विवरण और बैलेन्स शीट की एक प्रति सरकार को प्रस्तुत की जायेगी, जो उनकी लेखा परीक्षा करवायेगी।
- राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा 12. आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये ऐसे प्रपत्र में, और ऐसे समय पर, जैसा विहित किया जाय, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूरा विवरण देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति सरकार को अग्रसारित करेगा।
- रिपोर्ट 13. सरकार रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र उनसे दी गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारणों यदि कोई हो, के ज्ञापन के साथ वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगी।

#### अध्याय—पांच

#### प्रकीर्ण

- आयोग के {अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य}<sup>1</sup> और कर्मचारी लोक सेवक होंगे 14. आयोग के {अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य}<sup>1</sup> और कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।
- शास्ति 15. जो कोई धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन आयोग के किसी आदेश या निदेश का पालन करने के लिये वैद्य रूप से आबद्ध होते हुए उस आदेश के निवेश की अवज्ञा करे तो यथास्थिति भारतीय दण्ड संहिता 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन 1960) की धारा 174, 175, 176, 178, 179 या 180 के अधीन दण्डित किया जायेगा।
- अपराध का संज्ञान 16. कोई न्यायालय धारा 15 में विनिर्दिष्ट अपराध का संज्ञान, {अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य}<sup>1</sup> या आयोग आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिखित परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं।

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 03 वर्ष 2004 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

नियम बनाने की शक्ति

17. (1) सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिये नियम बना सकती है,
- (2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित, समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—
- (क) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन [अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य]<sup>1</sup> और धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें;
- (ख) धारा 9 की उपधारा 3 खण्ड (ख) क अधीन कोई अन्य मामला.
- (ग) प्रपत्र जिसमें धारा 11 की उपधारा(1) के अधीन लेखों का वार्षिक विवरण रखा जायेगा,
- (घ) प्रारूप जिसमें और समय जिस पर धारा 12 के अधीन लेखों का वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी,
- (ङ) कोई अन्य मामला, जिसे विहित किया जाना अपेक्षित हो या किया जाय।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

18. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावी बनाने में कोई कठिनाइयां उत्पन्न होती है तो सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध बना सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और कठिनाइयों को दूर करने के लिये उसे आवश्यक और समीचीन प्रतीत हो।
- (2) इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।
- (3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23—क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे वे किसी उत्तराखण्ड अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन 1994 का निरसन

19. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1994 एतद्द्वारा जहां तक उत्तराखण्ड राज्य में लागू होने का प्रश्न है, इस अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन प्रवृत्त अधिसूचना की तिथि से निरसन लिया जाता है।

### अल्पसंख्यक आयोग हेतु स्टाफ की आवश्यकता

पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3
1. सचिव आयोग (श्रेणी 2 का पद)	1	8000—13500
2. लेखाकार	1	5000—8000
3. वैयक्तिक सहायक आयोग के अध्यक्ष के लिये	1	5000—8000
4. वरिष्ठ लिपिक	1	4000—6000
5. कनिष्ठ लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	3050—4590
6. चालक (एक चालक अध्यक्ष तथा एक चालक सचिव के लिए)	2	3050—4590
7. चतुर्थ श्रेणी कर्मी (एक चपरासी अध्यक्ष के लिये एक चपरासी दो अन्य सदस्यों के लिए एक चपरासी सचिव के लिये तथा एक चपरासी कार्यालय के लिए)	4	2550—3200

**नोट :-** सफाई व सुरक्षा की व्यवस्था संविदा पर की जायेगी।

## अल्पसंख्यक आयोग के लिए वित्तीय आवश्यकता

(धनराशि लाख में)

1	अध्यक्ष एवं अन्य दो सदस्यों के लिए एक मुश्त मानदेय रू0 15000 प्रतिमाह की दर से	5.40
2	आयोग के सचिव के वेतन भत्तों के लिए 8000-13500 के वेतनमान पर श्रेणी 2 का पद	1.44
3	लेखाकार वेतनमान 5000-8000 पर देय वेतन भत्ते	0.90
4	अध्यक्ष के लिये वैयक्तिक सहायक वेतनमान 5000-8000 पर देय वेतन भत्ते	0.90
5	वरिष्ठ लिपिक वेतनमान 4000-6000 पर देय वेतन भत्ते	0.72
6	कनिष्ठ लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर वेतनमान 3050-4590	0.56
7	चालक वेतनमान 3050-4590	1.12
8	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वेतनमान 2550-3200	1.836
9	एक कार अध्यक्ष के लिए तथा एक डीजल जीप सचिव के लिए	8.00
10	कार्यालय भवन का किराया रू0 10000 प्रतिमाह की दर से	1.20
11	कम्प्यूटर एक	1.00
12	फोटोस्टेट मशीन एक	1.00
13	टेलिफोन एक	0.50
14	फैक्स एक	0.20
15	फर्नीचर एवं साज सज्जा	2.00
16	कार्यालय लेखन सामग्री एवं आकस्मिक व्यय	1.00
17	यात्रा भत्ता	0.50
योग:-		28.276



**THE UTTARAKHAND COMMISSION FOR MINORITIES ACT, 2002**  
[Act No. 09 of 2002]

To constitute a Commission for minorities in Uttarakhand and to provide for matters connected therewith or incidental therein

**AN  
ACT**

It is hereby enacted in the fifty-third year of the Republic of India as follows:-

**CHAPTER-I  
Preliminary**

- |                                      |    |   |
|--------------------------------------|----|---|
| Short title, extent and commencement | 1- | (1) This Act may be called the Uttarakhand Commission for Minorities Act 2002.<br>(2) It shall extend to the whole of Uttrankhand.<br>(3) It shall come into force on such date as the Government may by notification, publish in this behalf.  |
| Definitions                          | 2  | In this Act unless a contrary intention appears from the context<br>(a) "Commission" means the Uttarakhand Commission for Minorities constituted under section 3;<br>(b) "Government" means Government of Uttarakhand.<br>(c) "Member" means a Member of the Commission and includes the Chairman [and Vice-Chairman] <sup>1</sup> of the Commission;<br>(d) "Minority" for the purposes of this Act, means a community notified as such by the Government. |

**CHAPTER-II  
The Commission**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| Constitution of the Uttarakhand Commission for Minorities        | 3 | (1) The Government shall constitute a body to be known as the Uttarakhand Commission for minorities to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to it under this Act,<br>(2) [The Commission shall consist of a Chairman, two Vice-Chairman and nine members which includes a woman amongst the person of eminence ability and integrity from minority communities] <sup>3</sup>   |
| Term of office and conditions of service of Chairman and members | 4 | (1) [The Chairman, Vice-Chairman and every Member shall hold office for a term of five years from the date he/she assumes office.] <sup>4</sup><br>(2) The [Chairman, Vice-Chairman and Members] <sup>2</sup> may, by writing under his hand addressed to the Government, resign from the office of the Chairman or, as the case may be, of the member at any time.<br>(3) The Government shall remove a person from the office of the Chairman or a member referred to in sun-section(2) if that person; |

---

1. Substituted by section 2 of Uttarakhand Act No. 03 of 2004.  
2. Subs. by section 4 ibid.  
3. Substituted by section 2 of Uttrakhand Act no. 13 of 2014.  
4. Subs by section 3 ibid.

- (a) becomes an un discharged insolvent;
- (b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence, which in the opinion, of the Government involves moral turpitude;
- (c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent Courts;
- (d) refuses to act or becomes incapable of acting;
- (e) is, without obtaining leave of absence from the Commission absents from three consecution meeting of the Commission; or
- (f) has, in the opinion of the Government, so abused the position of the Chairman or Member as to render that person's Continuance in office detrimental to the interests of minorities or the public interest;

Provided that no person shall be removed under this clause until that person has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

- (4) A vacancy caused under sub-section (2) or otherwise shall be filled by fresh nomination.
- (5) The salaries and allowances payable to and the other terms and conditions of service of, the Chairman and members shall be such as may be prescribed.

Officers and other employees of the Commission	5-	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) The State Government shall provide the Commission with a secretary and such other officers and employees as may be necessary for the efficient performance of the functions of the Commission.</li> <li>(2) The salaries and allowances payable to and the other terms and conditions of services of the officers and other employees appointed for the purpose of the Commission shall be such as may be prescribed.</li> </ul>
Salaries and allowances to be paid out of grant	6-	The salaries and allowances payable to the [Chairman, Vice-Chairman and Members] <sup>1</sup> and the administrative expenses, including salaries allowances and pension payable to the officers and other employees referred to in section 5, shall be paid out of the grants referred to in sub section(1) of section 10.
Vacancies etc. not to invalidate proceeding of the Commission	7-	No act or proceeding of the Commission shall be questioned or shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission.
Procedure to be regulated	8-	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) The commission shall meet as and when necessary at such time and place as the Chairman may think fit.</li> <li>(2) The Commission shall regulate its own procedure.</li> <li>(3) All orders and decisions of the commission shall be authenticated by the secretary or any other officer of commission duly authorized by the secretary in this behalf.</li> </ul>

---

1. Substituted by section 4 of Uttarakhand Act No. 03 of 2004.

- (4) [If the office of the Chairman becomes vacant or if the Chairman is, for any reason, absent or unable to discharge the duties of his office, these duties shall, until the new Chairman assumes office or the existing Chairman resumes his office, as the case may be, be discharged by the Vice-Chairman.
- (5) If the officers of both Chairman and Vice-Chairman become vacant, the duties of the office of Chairman shall be discharged by such member, as the State Government may, by order, direct.]

### **CHAPTER-III**

#### **Functions of the Commission**

- Functions of the Commission 9-
- (1) The Commission shall perform all or any of the following functions namely:-
    - (a) evaluate the progress of the development of minorities in Uttarakhand;
    - (b) monitor the working of the safeguards in respect of minorities provided in the constitution and in laws enacted by the State legislature;
    - (c) make recommendations for the effective implementation of safeguards for the protection of the interests of minorities by the Government;
    - (d) look into specific complaints regarding deprivation of rights and safeguards of the minorities and take up such matters with the appropriate authorities;
    - (e) cause studies to be undertaken into problems arising out of any discrimination against minorities and recommend measures for their removal;
    - (f) conduct studies, research and analysis on the issues relating to socio-economic and educational development of minorities;
    - (g) suggest appropriate measures in respect of any minority to be undertaken by the Government;
    - (h) make periodical or special reports to the Government on any matter pertaining to minorities and in particular difficulties confronted by them; and
    - (i) any other matter which may be referred to it by the Government.
  - (2) The Government shall cause the recommendations referred to in clause (c) of sub-section (1) to be laid before the State legislature along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations and the reason for the non-acceptance if any of such recommendations.
  - (3) The Commission shall, while performing any of the functions mentioned in clause (a) (b) and (d) of sub-section (1) have all the powers of a civil court trying a suit and in particular, in respect of the following matters; namely:--
    - (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
    - (b) requiring the discovery and production of any document;
    - (c) receiving evidence on affidavits;

- (d) requisitioning any public record or copy thereof from any office ;
- (e) issuing commissions or the examination of witnesses and documents; and,
- (f) any other matter which may be prescribed.

**CHAPTER-IV**  
**Finance, Accounts and Audits**

- |  |     |  |
|--|-----|--|
| Grant by the Government  | 10- | <p>(1) The Government shall, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf pay to the commission by way of grants such sums of money as the government may think fit for being utilized for the purpose of this Act.</p> <p>(2) The commission may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section (1).</p> |
| Accounts and Audit   | 11- | <p>(1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and shall cause to be prepared an annual statement of accounts in such form as may be specified by the Government by general or special order in this behalf.</p> <p>(2) A copy of the annual statement of accounts and the balance sheet shall be submitted to the Government which shall cause the same to be audited.</p>   |
| Annual Report  | 12- | The Commission shall prepare, in such form and at such time, for each financial year as may be prescribed, its annual report giving a full account of its activities during the previous financial year and forward a copy thereof to the State Government.  |
| Annual Report and audit report to be laid before State Legislature | 13- | The Government shall cause the annual report together with a memorandum of action taken on the recommendations contained therein and the reason for the non-acceptance if any of such recommendations and the audit report to be laid as soon as possible after the reports are received before the State legislature.   |

**CHAPTER-V**  
**Miscellaneous**

- |  |     |  |
|--|-----|--|
| [Chairman, Vice-Chairman, Members] <sup>1</sup> and staff of the commission to be public servant | 14- | The [Chairman, Vice-Chairman, members] <sup>1</sup> and employees of the commission shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code 1860.  |
| Penalty  | 15- | Whoever, being legally bound to obey any order or direction of the commission under sub-section (3) of section 9, disobeys such order or direction shall be punishable under sections 174,175,176,178,179 or 180 of the Indian Penal Code,1860 (Act XLV of 1860) as the case may be. |
| Cognizance of offences   | 16- | No court shall take cognizance of the offences specified in section 15 except on the complaint in writing of the chairman or a Member or of an Officer of the Commission authorized in this behalf by the commission.  |

---

1. Substituted by section 4 of Uttarakhand Act No. 03 of 2004.

- Power to make Rule 17- (1) The Government may by notification make rules for carrying out the purposes of this Act.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters namely-
- (a) Salaries an allowances payable is and the other terms and conditions of service of the Chairman and Members under sub-section 5 of section 4 and of officers and other employees under sub-section 2 of section 5.
- (b) any other matter under clause (f) of sub section(3) of section 9;
- (c) the form in while the annual statement of accounts shall be maintained under sub-section (1) of section 11;
- (d) the form in and the time at which the annual report shall be prepared under section 12;
- (e) any other matter which is required to be; or may be prescribed.
- Power to remove difficulties 18- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act the Government may by a notified order make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.
- (2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of the period of two years from the commencement of this Act.
- (3) Every order made under sub-section (1) shall be laid as soon as may be before the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the Government under any Uttarakhand Act.
- Repeal of U.P. Act no 22 of 1994 19- The Uttar Pradesh commission for Minorities Act, 1994 is hereby repealed in Uttaranchal after the publication under sub-section (3) of section 1 of notification of this Act.

### **Requirement of Staff for the Minority Commission**

Sl. No.	Designation	No. of Post	Pay Scale
1	2	3	4
1	Secretary of the commission (class II post	1	8000—13500
2	Accountant	1	5000—8000
3	Personal Assistance for Chairman of the commission	1	5000—8000
4	Senior clerk	1	4000—6000
5	Junior clerk com computer operator	1	3050—4590
6	Driver (one for chairman & one for Secretary)	2	3050—4590
7	Fourth class(one for chairman, one for two other member, one for secretary and one for office)	4	2550—3200

**Note:-** Arrangement of sweeper and security will be done on contact basic;

**Financial requirement for minority Commission**

		(Amount in lakh)
1	Lump sum honorarium for chairman and other two member @ 15,000 per month	5.40
2	Pay and allowances for secretary of the commission at pay scale of 8000-13500 for class II post	1.44
3	Pay and allowances of Accountant at pay scale 5000-8000	0.90.
4	Pay and allowances of P.A. to chairman at the pay scale of 5000-8000	0.90
5	Pay and allowances of senior clerk at the pay scale of 4000-6000	0.72
6	Pay and allowances of junior clerk cum computer operator at the pay scale of 3050-4590	0.56
7	Pay and allowances of Driver at the pay scale of 3050-4590	1.12
8	Fourth class employees at the pay scale of 2550-3200	1.836
9	One car for chairman and one Diesel jeep for secretary	8.00
10	Rent of office building @ 10,000 per month	1.20
11	Computer	1.00
12	Photostat Machine	1.00
13	Telephone	0.50
14	Fax machine	0.20
15	Furniture and furnishing	2.00
16	Office stationery and contingency	1.00
17	Traveling allowance	0.50
<b>Total</b>		<b>28.276</b>